


**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 3038-एक/14

जिला - नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर, नीमच के पत्र क्रमांक 194/नजूल/2014 दिनांक 11-8-14 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कलेक्टर, नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-20(1)/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 19-8-11 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।</p> <p>2- विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरांत पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 एवं संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रकाश में प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करें । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदरस्य

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

10

संस्थापन का दिनांक 11-09-14.....

विनष्टीकरण के लिये नियत दिनांक.....

निर्णय का दिनांक 4-3-15.....

अभिलेखागार क्रमांक.....

## भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध 3038-I-14.....

पीठासीन न्यायाधीश श्री कृष्ण चंद्र शर्मा

### पक्षकार

ग्राम मण्डल शासन द्वारा कलेक्टर विरुद्ध कांचि पासन चंडी मण्डल पावर हाउस कंपनी लि. तहसील जिला नीमच

### अभिभाषक

श्री ..... प्रार्थी श्री ..... प्रतिप्रार्थी

वाद विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण वहां प्रस्तुत हुआ

अन्तिम आदेश का सार 4-3-15 (कृष्ण चंद्र शर्मा)

पूर्ववर्ती प्रकरणों का सन्दर्भ :

आयुक्त/अति. आयुक्त का प्र.क्र. ....

जिलाधीश/अनुविभागीय अधिकारी